ग्राम पंचायत उरनी, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुकत निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत उरनी, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व कार्यरत सचिव थे :-

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री सुनील कुमार	01.04.14 से 22.01.16
2	सुश्री गीता ज्ञानी	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री बलवन्त सिंह	01.04.2014 से 31.12.2015
2	श्री धर्मेंद्र सिंह	01.01.2016 से लगतार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत उरनी के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.30
2	6	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	28.99
3	7	भण्डारण प्रविष्टियां न करना	32.05
4	8	सोलर लाईट के क्रय पर अनियमित व्यय	0.59
5	9	निर्माण कार्यों से सम्बंधित माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	55.12
6	10	अनुदान का उपयोग न करना	11.98
7	11	बिना/वाउचर के अनियमित व्यय	0.58
8	14	अग्रिम राशि का समायोजन शेष	1.00

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत उरनी, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री सोम राज कपूर, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 13.11.2017 से 18.11.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमश: माह 3/15, 9/15, 3/17 तथा 11/14, 11/15 व 9/16 का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत उरनी, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि०प्र०, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: फिन(एल.ए.)एस.आर.के./57 दिनांक 16.11.2017 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, शाखा टापरी के ड्राफ्ट संख्या: 101054 दिनांक 17.11.2017 के अंतर्गत यह राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. शिमला-171009 को प्रेषित की गई है ।

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत उरनी, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका निधि वार विवरण निम्न पैरा **4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 व 4.6** पर विस्तृत विवरण दिया गया है :-

संकलित वितीय स्थिति :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	2358004	4018290	6376294	3486116	2890178
2015-16	2890178	4457265	7347443	4615474	2731969
2016-17	2731969	7027200	9759169	6165104	3594065

4.1 अनुदान तथा स्व: स्त्रौत :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	1242798	1219826	2462624	1134466	1328158
2015-16	1328158	667150	1995308	1309475	685833
2016-17	685833	1202437	1888270	515545	1372725

1) रोकड़ बही/वितीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को शेष :
₹1372725.00

2) दिनांक 31.03.2017 को हि .प्र. रा. स. बैंक, सीमित, टापरी खाता संख्या: 26110100001 में जमा राशि:- **₹1372725.00**

अन्तर : शून्य

4.2 मनरेगा :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	8559	1203328	1211887	1193670	18217
2015-16	18217	1375616	1393833	1387772	6061
2016-17	6061	1601695	1607756	1607756	शून्य

4.3 आइ. ए. वाइ. एण्ड आर. ए. वाइ. (IAY & RAY) :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	263694	729638	993332	361000	632332
2015-16	632332	357407	989739	327250	662489
2016-17	662489	94166	756655	331250	425405

1) रोकड़ बही/वितीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को शेष :
₹425405.00

2) दिनांक 31.03.2017 को हि .प्र. रा. स. बैंक, सीमित, टापरी खाता संख्या: 26110100029 में जमा राशि: - **₹425405.00**

अन्तर : शून्य

4.4 तेरहवां एवं चौदहवां वित आयोग (13th & 14th FC) :-

1)

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	57685	94648	152333		152333
2015-16	152333	28149	180482	-	180482
2016-17	180482	534210	714692	175525	539167

1) रोकड़ बही/वितीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को शेष :
₹539167.00

2) दिनांक 31.03.2017 को हि .प्र. रा. स. बैंक, सीमित, टापरी खाता संख्या: 6349 में जमा राशि: - **₹539167.00**

अन्तर : शून्य

4.5 लाडा (LADA) :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	354428	622151	976579	398660	577919

2015-16	577919	1508928	2086847	1295650	791197
2016-17	791197	2545926	3337123	3177028	160095

1)

2)

3)

4)

5)

1) रोकड़ बही/वितीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को शेष : **₹160095.00**

2) दिनांक 31.03.2017 को हि .प्र. रा. स. बैंक, सीमित, टापरी खाता संख्या: 8174 में जमा राशि: - **₹160095.00**

अन्तर : शून्य

4.6 आइ. ड्ब्लयू. एम. पी.(IWMP) :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	430840	148699	579539	398320	181219
2015-16	181219	520015	701234	295327	405907
2016-17	405907	1048766	1454673	358000	1096673

1) रोकड़ बही/वितीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को शेष : **₹1096673.00**

2) दिनांक 31.03.2017 को हि .प्र. रा. स. बैंक, सीमित, टापरी खाता संख्या: 26110109109 में जमा राशि: - **₹ 1095673.00**

अन्तर : ₹1000

बैंक समाधान विवरणी :-

क्र. सं	विवरण	(+)	(-)
1	दिनांक 31.03.2017 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	1096673	-
2	दिनांक 25.10.2014 को ₹240000 बैंक से हस्तांतरित की गई परन्तु रोकड़ बही में ₹239000 का ही व्यय दर्शाया गया	-	1000
3	दिनांक 31.03.2017 को बैंक में जमा राशि	-	1095673
	कुल जोड़ :	**₹1096673**	**₹1096673**

पंचायत की स्व :स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से जांच में पाया गया कि गृहकर/सम्पतिकर की अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक आंशिक वसूली की गई थी जो कि एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि गृहकर पंचायत की आय का

मुख्य स्त्रोत है। अतः गृहकर की मांग व वसूली नियमानुसार प्रतिवर्ष न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा भविष्य में प्रतिवर्ष गृहकर की मांग व वसूली करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.17 तक गृहकर के रूप में ₹29500 पंचायत के राजस्व की वसूली शेष थी जिसकी अविलम्ब प्राप्ति सुनिश्चित की जाये :-

वर्ष	अथशेष	मांग की जानी अपेक्षित	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	-	5900	5900	-	5900
2015-16	5900	8850	14750	-	14750
2016-17	14750	14750	29500	-	29500

5 पंचायत राजस्व ₹0.30 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

6 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही ₹28.99 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय :-

हि. प्र. पंचायती राज (वित, बजट,लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) में स्टॉक /स्टोर का क्रय करने की औपचारिक्ताएं प्रावधित हैं । व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि "**परिशिष्ट-क की पाद टिप्पणी-1**" में दिये गये विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹2899296 के स्टॉक/स्टोर का क्रय बिना औपचारिकताओं को पूर्ण किये अर्थात निविदाएं आमंत्रित किये बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

7 ₹32.05 लाख के क्रय की भण्डारण प्रविष्टियां न करना :-

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार क्रय किये गये स्टॉक/स्टोर की भण्डारण प्रविष्टियां किया जाना अपेक्षित हैं । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण मे पाया गया कि "**परिशिष्ट-क की पाद टिप्पणी-2**" में दिये गये विवरणानुसार ₹3205091 के क्रय की गईं विविध वस्तुओं की भंडारण प्रविष्टियां नहीं की गईं जो कि उक्त नियम के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें तथा नियमानुसार क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ की जानी सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का लेखा- जोखा रखा जाना सुनिश्चित किया जाये ।

8 14वें वित आयोग अनुदान से क्रय सोलर लाईटों पर ₹0.59 लाख का अधिक एवम अनियमित व्यय :-

सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या: पी0सी0एच0 – एच0सी0 (10)1/2015(एफ0एफ0सी0) दिनांक **29.5.2016** के साथ संलग्न परिशिष्ट के

क्रम 1 से 9 के अन्तर्गत अधिसूचित गतिविधियों पर 14वें वित आयोग के तहत प्राप्त अनुदान राशि का मात्र 10% तक ही व्यय किया जा सकता है । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2016-17 के दौरान रोकड़ बही पृष्ठ 28 व 29 पर दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार दिनांक 10-6-2016 18-7-2016 व 24-10-2016 को ₹516443 (151875+152875+211693) 14वें वित आयोग के अंतर्गत प्राप्त की गई जिसका 10% अर्थात ₹51644 मात्र ही उपरोक्त पत्र में वर्णित गतिविधियों पर व्यय किया जा सकता था परन्तु पंचायत द्वारा सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप व्यय न करके निम्न विवरणानुसार ₹110950 का व्यय केवल 50 सोलर लाईटों के क्रय पर ही किया गया जो कि अपेक्षित राशि से ₹59306 (110950 – 51644) अधिक है । अत: सोलर लाईटों के क्रय व उनकी स्थापना पर अपेक्षित राशि से अधिक व्यय किया जाना अनियमित व आपतिजनक है जिसके बारे में औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अधिक व्यय की गई राशि की वसूली करके पंचायत निधि में जमा किया जाये :-

दिनांक	**वाउचर संख्या**	**रोकड़ बही पृष्ठ**	**विवरण**	**राशि**	**टिप्पणी**
04-8-2016	24	50	50 सोलर लाईटों का क्रय	110950	सोलर लाईटों के क्रय की भण्डारण प्रविष्टि तथा स्थापना सम्बंधि अभिलेख भी अंकेक्षण में नहीं दर्शाया गया जिसे आगमी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।
		कुल		**₹110950**	

9 निर्माण कार्यों ₹55.12 से सम्बंधित माप पुस्तिकाओं को जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भते) नियम, 2002 के नियम 101 के अनुसार विभिन्न संकर्मों के निष्पादन का ब्यौरा माप पुस्तिका मे निर्धारित रीति के अनुसार रखा जाना अपेक्षित है । अंकेक्षण के दौरान अवधि 1-4-2014 से 31-3-2017 में विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत निष्पादित संकर्मों की माप पुस्तिकाऐं प्रस्तुत नहीं की गईं जिसके कारण "**परिशिष्ट – क पाद टिप्पणी-3**" में दर्शाये गये भुगतान ₹5512445 की विभिन्न राशियों की मद वार वास्तविक निष्पादित मात्रा व मूल्यांकित राशि से जांच सम्भव नहीं हो पाई और न ही विभिन्न संकर्मों में उपयोग किये गये सामान का विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया परिणामस्वरूप संकर्म वार क्रय/जारी सामान की मात्रा की वास्तव में उपयोग अथवा शेष मात्रा से तुल्नात्मक जांच सुनिश्चित नहीं

की जा सकी । अत: उपरोक्त के सम्बंध मे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये ।

10 अनुदान ₹11.98 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट-ख)** के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक ₹1198443 अनुदान की राशि उपयोग हेतु शेष थी । इस प्रकार अनुदान राशि के उपयोग न करने से सरकारी योजनाओं से होने वाले लाभ से ग्रामीणों को वंचित रखे जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

11 बिना बिल/वाउचर के ₹0.58 लाख का अनियमित भुगतान:-

जांच में पाया गया कि सामान्य रोकड़ बही में ₹58492 का भुगतान विभिन्न फर्मों/व्यक्तियों को निम्न विवरणानुसार किया हुआ दर्शाया गया परंतु इसके सम्बंध में किसी प्रकार के व्यय प्रमाणक व वास्तविक प्राप्तकर्ता की रसीदें अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गईं जिसके कारण इन राशियों के भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा साथ ही इनके दुरुपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अत: उपरोक्त के सम्बंध में औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रौत से करके पंचायत खाते में जमा किया जाये :-

दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ	वाउचर संख्या	रोकड़ बही के अनुसार कार्य का नाम	रोकड़ बही में दर्ज भुगतान का विवरण	राशि
14-11-2014	30	25	रा.व.मा.पा. उरनी का मुरम्मत कार्य	विविध वस्तुओं का क्रय	15525
14-11-2014	30	26	यथोपरि	यथोपरि	10058
12-11-2015	43	41	सामुदायिक शौचालय का निर्माण	विवरण नहीं दिया गया है	18875
12-11-2015	43	42	यथोपरि	यथोपरि	12099
12-11-2015	43	43	यथोपरि	यथोपरि	1935
				कुल	**₹58492**

12 अनुपयुक्त ₹0.01 लाख को पंचायत निधि में वापिस जमा न करना :-

₹240000 का भुगतान आई. ड्ब्लयू. एम. पी. खाता संख्या: 26110109109 से चैक संख्या: 0239707 दिनांक 25-10-2014 को श्री सुरेश कुमार को रलसथंग में बंडस मुरम्मत के कार्य हेतु किया गया था परंतु व्यय वाउचर की जांच पर

पाया गया कि उपरोक्त भुगतान के सम्बंध में मात्र ₹239000 के व्यय प्रमाणक ही पंचायत को प्रस्तुत किये गये थे जो कि रोकड़ बही पृष्ठ 06 पर संख्या 01 से 31 के अंतर्गत अंकित थे जबकि शेष अनप्रयुक्त ₹1000 (240000-239000) को पंचायत निधि में वापिस जमा नहीं किया गया जिसके सम्बंध में औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इसकी वसूली करके पंचायत निधि में जमा किया जाये ।

13 वर्गीकृत सार रजिस्टर तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भते) नियम, 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में आय – व्यय का वर्गीकृत सार तैयार करना अपेक्षित है अर्थात मद वार पृथक पन्ने पर एक भाग में आय और दूसरे भाग में व्यय की लेन – देन के अनुसार प्रविष्टियां की जायेंगी तथा मासिक प्रगतिशील योग किया जायेगा । इस **सार** को बनाने का उद्देश्य आय – व्यय को बजट के अनुसार नियंत्रित रखना है । जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख तैयार नहीं किया गया है जिसके बारे में औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार वर्गीकृत सार रजिस्टर का निर्माण किया जाये ।

14 अग्रिम ₹1.00 लाख का समायोजन शेष:-

श्री राजेन्द्र सिंह, सचिव नाग मन्दिर उरनी को प्रमाणक संख्या: 52 दिनांक 12-1-2017 (रसीद) के अन्तर्गत मन्दिर निर्माण के सम्बंध में लाडा निधि से ₹100000 खाता संख्या: 8174 से चैक संख्या: 202527 दिनांक 12-1-2017 द्वारा अग्रिम राशि के रूप में भुगतान किया गया था परंतु अंकेक्षण की तिथि उपरोक्त अग्रिम राशि का समायोजन नहीं किया गया था जिसका यथाशीघ्र समायोजन सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि को दण्ड ब्याज सहित वसूली करके पंचायत निधि में जमा किया जाये ।

15 इमारती लकड़ी की चिराई के लिए ₹2.99 लाख का अनियमित भुगतान:-

व्यय वाउचरों की जांच पर पाया गया कि प्रमाणक संख्या 45 दिनांक 26-11-2015 (सामान्य रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 43) व 01 दिनांक 19-11-2014 (लाडा रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 19) के अंतर्गत ₹48100 व ₹250660 कुल ₹298760 का भुगतान श्री हिम्मत राम व श्री राजेन्द्र सिंह, उरनी को क्रमश: पंचायत घर की मुरम्मत तथा कालीरंग माता मंदिर उरनी के निर्माण के सम्बंध में इमारती लकड़ी के कुल 406 (104+302) नग की चिराई हेतु किया गया परन्तु व्यय की गई इन राशियों की तुलनात्मक एवं विस्तृत जांच हेतु लकड़ी की मात्रा का स्टॉक मे होने अथवा क्रय किये जाने का अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण उपरोक्त भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी । अत: अपेक्षित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत किया

जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा उपरोक्त लकड़ी के चिराई के लिए किए गए भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए।

16 अदायगी आदेश के बिना भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 49(1) व (2) के अनुसार पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिये नकद या चैक द्वारा कोई भी संदाय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुये संयुक्तत: हस्ताक्षरित या आद्याक्षरित नहीं किया जाता है। भुगतान वाउचरों की जांच पर पाया गया कि पंचायत द्वारा संयुक्त भुगतान आदेशों के बिना ही भुगतान किया गया जो कि नियमों के प्रतिकूल होने के साथ ही आपतिजनक भी है । अत: इस सम्बंध में औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में सभी प्रमाणकों पर नियमानुसार भुगतान आदेश अंकित करने के उपरांत ही आदायगी सुनिश्चित की जाये ।

17 प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि. प्र. पंचायती राज (वित, बजट,लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 73 के अनुसार पंचायत के भंडार का प्रत्येक छ: महीने बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भंडार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करायें ।

18 लघु आपत्ति विवरणिका :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया है । समस्त लघु आपत्तियों अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर लिया गया है ।

19 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्कता है ।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्या:– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15)(9) 6/2018 खण्ड–1–2481–2484 दिनांक 09.04.2018 शिमला–09

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. जिला पंचायत अधिकारी, किन्नौर, जिला किन्नौर, हि0प्र0
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत उरनी, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / –
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881